न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

प्रकरण संख्या : 17/2020 FSSA

1. सरकार जरिये श्री जयसिंह यादव खाद्य सुरक्षा अधिकारी
   कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा, जिला दौसा ।

– आवेदक–

बनाम

1. श्री मोहम्मद शामिर पुत्र श्री मेहन्दी हसन
   एफबीओ मैसर्सः– न्यू जनता बिस्कुट बेकरी, मारूति कॉलोनी, दौसा निवासीः–शिवशक्ति नगर, जयपुर रोड दौसा।

– अभियुक्त–

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 एफएसएस एक्ट 2006 व सपठित नियम 2011

उपस्थिति : श्री जयसिंह यादव खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित।
: श्री भुवनेश्वर गंगावत अधिवक्ता अप्रार्थी अभियुक्त सं. 1 उपस्थित।

–: आदेश :– दिनांकः– 06.01.2021

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के कार्यालय में कार्य सम्पादन कर रहा है। राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना (नोटिफिकेशन) कमांक एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/440 दिनांक 26.07.2011 के अनुसार आवेदक को खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियां प्रयुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया है तथा श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर के आदेश कमांक एफएसएसए/एफएसओ/637 दिनांक 13.8.2014 एवं संशोधित आदेश क्रमांक 779 दिनांक 18.9.2014 के द्वारा आवेदक को कार्य क्षेत्र मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र आवंटित किये गये है और दौसा के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के कार्य क्षेत्र में आते है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 04.02.2020 को दोपहर बाद 04:15 बजे मैसर्सः– न्यू जनता बिस्कुट बेकरी, मारूति कॉलोनी, दौसा स्थित का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय दुकान पर विक्रेता श्री मोहम्मद शामिर पुत्र श्री मेहन्दी हसन उपस्थित मिला ने स्वयं को उक्त फर्म का मालिक होना बताया को अपना परिचय देकर एवं परिचय पत्र दिखाकर उससे खाद्य पदार्थ लाईसेन्स दिखाने के लिये कहा तो उसने खाद्य पदार्थ लाईसेन्स होना जाहिर किया। निरीक्षण के समय विक्रेता के पास एक प्लास्टिक कट्टे में करीबन 35 किग्रा सूजी(लूज) आम जनता को बिस्कुट, बेकरी, टोस्ट बनाकर बेचने हेतु रखी हुई थी। उक्त 35 किग्रा सूजी(लूज) में मिलावट का शक होने पर 2 किग्रा सूजी(लूज) हिलामिलाकर नमूने की जॉच हेतु खरीदी। जिनकी कीमत 56 रूपये नकद देकर बिल प्राप्त किया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा सूजी(लूज) को चार साफ सूखे खाली प्लास्टिक के डिब्बों में बराबर–बराबर डालकर एयरटाइट ढक्कन बन्द किया व लेबल तैयार कर लेबलों पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान व एफ.बी.ओं.(विक्रेता) के हस्ताक्षर करवाकर लेबलों को खरीदशुदा प्लास्टिक के डिब्बों पर चिपकाकर डिब्बो को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर किनारो को सफाई से मोडकर गोंद से चिपकाकर प्लास्टिक के डिब्बों पर डी.ओ. व सीएमएचओ दौसा द्वारा जारी की गई हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लीप कोड एवं सीरियल नम्बर ए.जी.–2348 उपर से नीचे पूरे राउंड में गोद से चिपकाकर प्लास्टिक के डिब्बों को एक मोटे मजबूत सख्त धागे से बांधकर प्लास्टिक के

न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

डिब्बों को चार–चार जगह से उपर नीचे दोनो साइडों में चपडी से सील मोहर कर प्लास्टिक के डिब्बों पर एफबीओ (विक्रेता) के हस्ताक्षर इस तरह करवाये कि आधे हस्ताक्षर पेपर स्लीप पर व खाकी कागज पर आये। गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं ने हस्ताक्षर कर चारो सील बन्द प्लास्टिक के डिब्बों को अपने कब्जे में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नं. 5 ए की दो प्रतियां तैयार कर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर उसकी एक प्रति एफ.बी.ओ. विकेता को देकर उसकी रसीद फार्म नं. 5 ए पर प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर की गई कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट तैयार कर उसे (विकेता) एफ.बी.ओ. व गवाहान को पढकर सुनाकर समझाकर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर एफ.बी.ओ. व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय में आकर फार्म नं. 6 की छः प्रतिया तैयार कर प्रत्येक पर नमूना छाप (सील इम्प्रेशन) लगाकर फार्म नं0 6 की एक प्रति व नमूने का एक सील बंद प्लास्टिक का डिब्बा एक आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर तथा फार्म नं0 6 की दो प्रतियां अलग से एक लिफाफे में सील मोहर कर नमूने का एक सील बंद प्लास्टिक का डिब्बा व फार्म नं0 6 का सील बंद लिफाफा श्री महादेव प्रसाद सैनी च.श्र.क. मुख्यालय द्वारा दिनांक 05.02.2020 को मुख्य खाद्य विश्लेषक अलवर के यहां जमा करवाये। नमूने के दो सील बन्द प्लास्टिक के डिब्बे व फार्म नं0 6 की दो प्रतियां एक आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 05.02.2020 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. दौसा को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की तथा नमूने का चतुर्थ सीलबंद प्लास्टिक का डिब्बा व फार्म नं0 6 की एक प्रति आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 05.02.2020 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

उक्त खाद्य पदार्थ सूजी(लूज) के नमूने की मुख्य खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./65/एक्ट/2020/135 दिनांक 19.02.2020 डी.ओ. व सीएमएचओ दौसा के जरिये आवेदक को प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ का नमूना सबस्टैण्डर्ड होना पाया गया है।

न्याय निर्णय आवेदन पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी अभियुक्त की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अधिवक्ता अप्रार्थी अभियुक्त की बहस सुनी गई।

बहस के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निवेदन किया कि खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./65/एक्ट/2020/135 दिनांक 19.02.2020 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ सूजी(लूज) के नमूने में **Moisture Contents** की मात्रा 15.80 प्रतिशत पायी गई है, जो कि निर्धारित मानाक से अधिक पायी गई है तथा **Ash insoluble in dil. HCl(on dry weight basis)** 0.22 प्रतिशत पायी गई है, जो कि निर्धारित मानक से कही अधिक है। इसलिये जांच रिपोर्ट के अनुसार खाद्य पदार्थ का नमूना सबस्टैण्डर्ड पाया गया है। अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा सबस्टैण्डर्ड खाद्य पदार्थ सूजी(लूज) का विक्रय कर एफएसएसए 2006 की धारा 26(2)(II) का उल्लंघन किया है। अतः अप्रार्थी अभियुक्त को अधिक से अधिक जुर्माने से दण्डित करने का श्रम करे।

अधिवक्ता अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा बहस के दौरान जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी अभियुक्त अपने बच्चों को पालने के लिये न्यू जनता बिस्कुट बेकरी के नाम से मारूति कॉलोनी दौसा में एक छोटी सी बेकरी चलाता है। जिसके लिये अप्रार्थी अभियुक्त बाजार से रोजाना थोडी–थोडी मात्रा में रेडीमेड सूजी खरीद कर उससे बिस्कुट, बेकरी, टोस्ट का निर्माण कर विक्रय करने का छोटा सा काम करता है। अप्रार्थी अभियुक्त ने किसी भी तरह की कोई मिलावट नहीं की है ना ही कभी मिलावट का कोई काम किया है। अप्रार्थी अभियुक्त उक्त सूजी बाजार से खरीद कर लाया था जिसका बिल भी अप्रार्थी को दुकानदार ने नहीं दिया है। प्रार्थी जून 2020 से बीमार है एवं चल फिर नहीं सकता जिसका इलाज भगवान महावीर केंसर अस्पताल जयपुर में चल रहा है। अतः अप्रार्थी अभियुक्त की शारीरिक, मानसिक बीमारी की परिस्थितियों को देखते हुए कम से कम जुर्माना किये जाने की कृपा करे।

न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

हमने खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अधिवक्त अप्रार्थी अभियुक्त की बहस पर मनन किया एवं अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी एक छोटा दुकानदार है साथ ही शारिरिक रूप से बीमारी से पीडित भी है। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक की जांच रिपोर्ट सं. एल.एस./65/एक्ट/2020/135 दिनांक 19.02.2020 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ सूजी(लूज) का नमूना सबस्टैण्डर्ड घोषित किया गया है। जो कि एफएसएसए 2006 की धारा 26(2)(II) का उल्लंघन है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 में निर्धारित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा सबस्टैण्डर्ड खाद्य पदार्थ सूजी(लूज) का विक्रय किये जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26(2)(II) का उल्लंघन होने से अपराध कारित होने के फलस्वरूप अप्रार्थी अभियुक्त श्री मोहम्मद शामिर पुत्र श्री मेहन्दी हसन एफबीओ मैसर्सः– न्यू जनता बिस्कुट बेकरी, मारूति कॉलोनी, दौसा निवासीः–शिवशक्ति नगर, जयपुर रोड दौसा पर 500 (अक्षरे पांच सौ रूपये) की शास्ति आरोपित की जाती है। अप्रार्थी अभियुक्त उक्त राशि निर्णय दिनांक 06.01.2021 के एक माह के अन्दर–अन्दर जमा कराकर चालान की प्रति प्रस्तुत करे।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 06.01.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(लोकेश कुमार मीना)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा

कमांक/FSSA/2021/169-171 दिनांक:13.01.2021

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशालय (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राज0 जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा।
3. श्री मोहम्मद शामिर पुत्र श्री मेहन्दी हसन एफबीओ मैसर्सः– न्यू जनता बिस्कुट बेकरी, मारूति कॉलोनी, दौसा निवासीः–शिवशक्ति नगर, जयपुर रोड दौसा।

(लोकेश कुमार मीना)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official